संख्या-07/2023/001-2646780/12-2099/90/2022

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 15 जनवरी, 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानो को प्रशिक्षण-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8904-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सेटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-अभि-13-101/1560/एस.एम.ए.एम.-सामान्य-रा0/लेखा/2023-24, दिनॉक 19 दिसम्बर, 2023 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8904-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (एन.एम.ए.ई.टी.) के अन्तर्गत सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में रूपये 9792.00 लाख एवं 42-अन्य व्यय में रूपये 208.00 लाख अर्थात राज्यांश की कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 10000.00 लाख के सापेक्ष मानक मद 27-सब्सिडी में राज्यांश की धनराशि रूपये 3160.00 लाख (रूपए इकतीस करोड़ साठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्ता के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव के अनुरुप एन.एम.ए.ई.टी. योजना हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।
3. स्वीकृत धनराशि उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, जिसका उत्तरदायित्व आपका रहेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही करते हुए व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
5. इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.03.2023 एवं अन्य सुसंगत दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आपका होगा।
6. स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व आपके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि राज्य की समेकित निधि में जमा है।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
8. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
9. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाएगी। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

11. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. उक्त स्वीकृत धनराशि वित्त (आय व्यक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कोषागार से आहरित कर योजना के एस.एन.ए. एकाउन्ट में रखे जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 31,60,00,000 (रुपये इकतीस करोड़ साठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 011 लेखा शीर्षक 2401001098904 नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलाजी (एन.एम.ए.ई.टी.) के अन्तर्गत सबमिशन आफ एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-396-X-2023-24, दिनांक 04 जनवरी, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-07/2023/001-2646780(1)/12-2099/90/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
4. निदेशक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
6. संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।